न्यायालय जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री बाल मुकुन्द असावा, आई.ए.एस.

निगरानी संख्या– 01/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2023/50

निगरारीकार	बनाम	गैरनिगरानीकार
मूलाराम पुत्र भैराराम जाति जाट निवासी छोटी खाटू तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन।		1. प्रदीप पुत्र सोहनलाल 2. जसराज पुत्र सोहनलाल दत्तक पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी छोटी खाटू तहसील छोटी खाटू जिला डीडवाना–कुचामन। 3. सरपंच ग्राम पंचायत छोटी खाटू ग्राम पंचायत 4. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत छोटी खाट पंचायत समिति डीडवाना जिला डीडवाना–कुचामन।

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज. अधिनियम 1994 बाबत निरस्त करने प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.09.2023 ग्राम पंचायत छोटी खाटू पंचायत समिति डीडवाना।

उपस्थितः–

1. श्री महेन्द्र सिंह खिलेरी वकील निगरारीकार की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया वकील गैरनिगरानीकार सं0 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 25.06.2024

निगरानीकार की ओर से निम्न निगरानी प्रस्तुत हैः–

1. निगरानीकार ग्राम छोटी खाटू का स्थायी निवासी हैं। जिसकी पैतृक सम्पति ग्राम छोटी खाटू में अवस्थित हैं। जिस पर कब्जा भैराराम पुत्र मेहराम का रहा है। मेहराम के तीन लडके व तीन लडकियां जाईन्द ासन्तान हुई। जिसमें सोहनलाल के दो पुत्र प्रदीप व जसराज हुये। पनाराम के कोई जाईन्दा सन्तान नहीं होने से सोहनलाल के पुत्र जसराज को पनाराम ने गोदा ले लिया।
2. भैराराम के जाईन्दा पुत्रों में निगरानीकार मूलाराम जिन्दा हैं तथा दुसरे दोनों पुत्र पनाराम व सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है व इनकी मृत्यु के पश्चात जसराज, प्रदीप की नियत में खोट आ गया हैं व भैराराम की स[illegible]पने की नियत से प्रदीप व जसराज ने ग्राम पंचायत छोटी खाटू से मि[illegible] वाला बाला ही गलत तरीके से पडौस दिखाकर विधिक [illegible]ान को छुपाते [illegible] पैतृक सम्पति का पट्टा केवल मात्र निगरानीकार संख्या 01 व 02 ने अपने नाम पर करवाने हेतु आवेदन कर दिया। जिस पर उक्त जरै निगरानी प्रस्ताव [illegible] 05 दिनांक 20.09.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.26 15:28:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
सत्यमेव जयते

25/6/24
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

2023 लिया गया तथा गैरनिगरानी संख्या 01 व 02 के पट्टा जारी करने की कुचेष्टा की। जिससे व्यथित होकर निगरानीकर निम्न आधारों पर निगरानी पेश कर रहा है–

<u>निगरानी के आधार</u>

1. ग्राम पंचायत छोटी खाटू के उक्त प्रस्ताव पारित करने में न्याय के सामान्य सिद्धान्तों की अवहेलना की हैं अतः ग्राम पंचायत छोटी खाटू का उक्त प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.09.2023 अधीन निगरनी अपास्त होने योग्य है।
2. ग्राम पंचायत छोटी खाटने उक्त प्रस्ताव पारित करने में गौर वैधिक व तथ्यात्मक त्रुटि की है अतः ग्राम पंचायत छोटी खाटू का उक्त प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 20.09.2023 अधीन निगरानी अपास्त होने योग्य हैं।
3. ग्राम पंचयात छोटी खाटू ने उक्त प्रस्ताव समुचित साक्ष्य व दस्तावेजों को पूर्ण अवलोकन करते हुये नहीं किया जिससे उक्त प्रस्ताव संख्या 05 अपास्त किये जाने योग्य है।
4. ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव लिये जाने से पूर्व निगरानीकार को कोई सूचना नहीं दी। निगरानीकार द्वारा अखबार में प्रकाशित नोटिस दिनांक 18.12.2022 का अवलोकन कर दिनांक 19.12.2022 को आपति पेश की व उक्त सम्पति पैतृक सम्पति का हवाला दिया। इसके बावजुद दिनांक 30.12.2022 को निगरानीकार को नोटिस दिया गया तथा निरीक्षण कमेटी का गठन किया। जिस पर भी निगरानीकार ने आपति दर्ज करवायी। इसके पश्चात विकास अधिकारी पंचायत समिति डीडवाना को उक्त पट्टे रोकने बाबत् दिनांक 18.09.2023 को एक आपति अलग से दी गई। इसके बाद भी ग्राम पंचायत उक्त पट्टा जारी करने पर आमादा हो रखी हैं व दिनांक 20.10.2023 को एक नोटिस जारी किया गया। जिसमें दस्तावेज 03 दिवस में पेश करने का नोटिस दिया। उक्त नोटिस हमें जरिये डाक दिनांक 27.09.2023 को प्राप्त हुआ। जिस पर हमने दिनांक 29.09.2023 को जवाब पेश कर दिया। परन्तु उक्त जवाब ग्राम विकास अधिकारी द्वारा लेने से इन्कार कर दिया गया। जिस पर उक्त जवाब जरिये व्हाट्सअप ग्राम विकास अधिकारी के नम्बर 9413984150 पर भेजा गया। इसके बावजुद भी दिनांक 26.09.2023 को एक नोटिस ओर दिया गया जो मुझे दिनांक 29.09.2023 को प्राप्त हुआ। ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारी उक्त पट्टा बनाने पर आमादा हैं जबकि उक्त पट्टा पूर्णरूप से विधि विरूद्ध हैं तथा उक्त प्रस्ताव भी विधि विरूद्ध है।
5. आवेदनकर्ता द्वारा अपने आवेदन में गलत नक्शा देकर, गलत पडौस दिखाकर बिना पैतृक सम्पति के विधिवत् बंटवारे के ही सम्पूर्ण तथ्य छिपाकर कूटरचना की जाकर गैर कानूनी प्रक्रिया अपनाकर उक्त पट्टा लेने पर आम[illegible] हैं व इस हेतु उक्त प्रस्ताव पूर्णरूप से विधि विरूद्ध कि[illegible] है।

अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निग[illegible]कार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत छोटी खाटू का उक्त प्रस्ताव सख्या 05

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.26 15:28:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

25/6/24
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

दिनांक 20.09.2023 को अधीन निगरानी अपास्त किये जाने का आदेश सादर फरमावे।

निगरानी को दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकार को जरिये समन तलब किया गया। गैरनिगरानीकार संख्या 03 व 04 बावजुद तामिल के न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 02 की तरफ से वकील श्री ओम प्रकाश पूनिय ने वकालतनामा पेश किया गैरनिगरानीकार संख्या 01 व 02 की तरफ से जवाब पेश कर निवेदन किया किः–

भैराराम पुत्र मेहराम की पैतृक सम्पति का बंटवारा भैराराम के तीन जायन्दा पुत्र मूलाराम, सोहनलाल, व पन्नाराम के बीच दिनांक 09.07.2001 को गॉव के मौजिज आदमियों के बीच तीनों भाईयों की सहमति से लिखित बंटवारा हो चुका है तथा निगरानीकार ने मेहराम के तीन लडके व तीन लडकियां होना बताया है जबकि भैराराम पुत्र मेहराम के तीन लडके व तीन लडकियां हूए थे जिनको इस निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए इस निगरानी का कोई औचित्य नहीं है।

निगरानीकार ने सरासर झूठे तथ्य लिखे है। सोहनराम पुत्र भैराराम को फौत बताया गया है जबकि सोहनराम पुत्र भैराराम जीवित है पन्नाराम जरूर फौत हो चुका है। सोहनराम पुत्र भैराराम इस निगरानी में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि सोहनराम पुत्र भैराराम आवश्यक पक्षकार है। निगरानीकार ने अदालत को गुमराह करने व अपने आप को फायदा पहुँचाने की नियत से सोहनराम पुत्र भैरारम को मृत बताया है। गैरनिगरानीकार अपने बन्ट के मकान का ही ग्राम पंचायत छोटी खाटू से पट्टा बनवा लिया है इस मकान मे गैरनिगरानीकार भैरारम पुत्र मेहराम की है इसलिए इस निगरानी का कोई औचित्य नहीं है मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

इस निगरानी के आधार के फिकरा संख्या 01 ता 10 गलत होने से अस्वीकार है। निगरानी जानबुझ कर गैरनिगरानीकार को आर्थिक व मानसिक परेशान करने की नियत से यह निगरनी झुठे आधारों पर पेश की है। जिसमें सोहनलाल पुत्र भैराराम को मृत बताया गया जबकि सोहनलाल पुत्र भैराराम जीवित है तथा उक्त पट्टे वाली जायगा में सोहनलाल के द्वारा ही अपने खर्चे से मकान बनवाये हुए है। निगरानीकार जब उक्त जायगा में सोहनलाल पुत्र भैराराम द्वारा मकान बनाये गये थे तब वाद न्यायालय में पेश करना चाहिये था। निगरानीकार की यह निगरानी मयाद बाहर है।

निगरनीकार ने यह निगरानी ग्राम पंचायत के प्रस[illegible] 05 दिनांक 20.09.2023 को निरस्त करने के लिए पेश [illegible] छोटी खाटू के इस प्रस्ताव से पट्टा बन गया और गै[illegible]कार को सुपुर्द [illegible] दिया तो कानूनन इस प्रस्ताव के विरूद्ध यह निगरानी [illegible] मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.26 15:28:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन

अतः निगरानी का जवाब मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि निगरानीकार की यह निगरानी मय खर्चा खारिज किय जाने का आदेश फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान् सुनी गई। बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं मनन किया। निगरानीकार द्वारा अपनी निगरानी में ग्राम पंचायत छोटी खाटु के प्रस्ताव सं0 05 दिनांक 20.09.2023 को खारिज करने की राहत चाही है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज एवं निगरानी के साथ संलग्न दस्तावेज में उक्त प्रस्ताव बाबत कोई प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त मूल रिकॉर्ड में भी प्रस्ताव सं0 05 दिनांक 20.09.2023 का कोई रिकॉर्ड नहीं है। निगरानीकार द्वारा अपनी निगरानी में ग्राम पंचायत की किस प्रस्ताव से जारी, किन आबादी के पट्टो को निरस्त कराना चाहते है यह स्पष्ट नहीं है। निगरानीकार की निगरानी में लिखित तथ्य भी विरोधाभाषी है। निगरानीकार के निगरानी के पैरा सं0 04 में दिनांक 20.10.2023 को ग्राम पंचायत द्वारा एक नोटिस जारी करना अंकित करता है साथ में यह भी कहता है कि उक्त नोटिस उसको 27.09.2023 को प्राप्त हुआ एवं उसके द्वारा 29.09.2023 को जवाब प्रस्तुत किया गया। अर्थात 20.10.2023 को जारी नोटिस का जवाब 29.09.2023 को कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत छोटी खाटु से प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार उसमें दो पत्रावलियां प्राप्त हुई। उक्त दोनों पत्रावलियों में संलग्न पट्टे मे प्रस्ताव सं0 05 दिनांक 20.09.2023 का कोई हवाला नहीं है।

राजस्थान पंचायतराज अधिनियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा जारी किसी विनिश्चय या आदेश की विधिकता / नियमितता के बाबत पुनरीक्षण और पुर्नविलोकन के लिए प्रस्ताव / विनिश्चय का सही विवरण उसमें क्या विधिक भूल की गई है की जानकारी होना आवश्यक है। प्रश्नगत निगरानी में निगरानीकार प्रस्ताव / आदेश का सही विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा हैं अतः उक्त निगरानी को इसी बिन्दु पर खारिज किया जाता है।

आदेश सरे इजलास आज दिनांक 25.06.2024 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

25/6/24

(बाल मुकुन्द असावा, IAS)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bal Mukund Asawa
Date: 2024.06.26 15:28:11 IST
Reason: SelfAttested